न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 49/2023

प्रार्थी–	***बनाम***	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री सुरेश विश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		1. श्री भगवानदास पुत्र नखताराम जांगिड़, प्रोपराईटर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर 2. धर्मसिंह पुत्र बलवंतसिंह वाहन चालक वाहन संख्या RJ04GC1680 मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

<u>आदेश</u>

दिनांक : 31.07.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 11.07.2023 को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर की गाडी संख्या RJ04GC1680 जो घरेलू गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को डिलीवरी देने हेतु जा रही थी [illegible] सर्विस कोतवाली पुलिस थाना के पीछे बाड़मेर को तीन गैस [illegible] आपूर्ति करते पकड़ कर पुलिस थाना कोतवाली [illegible] या। प्रार्थी ने जि[illegible]सद अधिकारी के आदेश से पुलिस थाना को[illegible]ली पहुच कर जांच [illegible]ई। जांच के दौरान उक्त तीन सिलेण्डर की डिलीवरी के संबंध में बुकिग नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की गई थी तथा डिलीवरी चालान व संबंधित गैस डायरी में इन्द्राज नहीं किया गया था। मौके पर जांच के दौरान स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्यों के मध्य नजर अवैध गैस सिलेण्डर डिलीवरी होना पाया गया। कोतवाली पुलिस थाना में खड़ी गाडी RJ04GC1680 में कुल 56 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए जिन्हे जब्त सरकार कर मैसर्स लक्ष्मी गैस सर्विस बाड़मेर के प्रतिनिधि श्री हिरेन्द्र कुमार पुत्र रामाराम को सुपुर्दगी पर सुपुर्द किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा श्री अमित कुमार पुत्र कानपुरी जाति गोस्वामी, संचालक गोस्वामी गैस सर्विस पुलिस थाना कोतवाली के पीछे बाड़मेर से पूछताछ करने पर बताया कि उसके द्वारा मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस से गैस सिलेण्डर 1150 रूपये में खरीद कर ग्राहको को 1200 रूपये में बेचने का कार्य किया जाता है। मौके पर जांच के दौरान उक्त तीन सिलेण्डर की डिलीवरी के संबंध में बुकिग नहीं की गई थी तथा डिलीवरी चालान व संबंधित गैस डायरी में इन्द्राज नहीं किया गया था। मौके पर जांच के दौरान स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्यों के मध्य नजर अवैध गैस सिलेण्डर डिलीवरी होना पाया गया। इस प्रकार मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस के वाहन संख्या RJ04GC1680 में वाहन चालक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से बेचान करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा 56 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस एवं गाडी संख्या RJ04GC1680 राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी [illegible] से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त [illegible] सिलेण्डर अप्रार्थी फर्म के है जो उपभोक्ताओं को वितरित होने के लिये वाहन से जा रहे थे अप्रार्थी ने उपभोक्ता जिनके फोन आने की वजह से उनकी अतिआवश्यकताओं को

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मध्यनजर रखते हुए उनके घर पर सप्लाई की जा रही थी। खाता संख्या 7035012534 मीनाक्षी पत्नी कानपुरी जाति गोस्वामी निवासी पुलिस कोतवाली के पीछे माहेश्वरी भवन के पास उनको गैस टंकी की सप्लाई की थी तथा मीनाक्षी को सप्लाई करने के बाद वाहन से दो भरी हुयी टंकीयां जो रिहाना बानों पत्नी शौकत अली उपभोक्ता खाता संख्या 7054191033 व अनिजा बानों पत्नी जान मोहम्मद जाति मुसलमान खाता संख्या 7060580566 को संकडी गली कसाईयों का वास बाड़मेर में देनी थी इसलिए मीनाक्षी के घर पर ही टंकियां उताकर उपभोक्ताओं के घर सप्लाई करने जा रहे थे। इतने में उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा गोस्वामी गैस सर्विस के यहां जांच करने आये तथा मीनाक्षी के घर जो सर्विस सेन्टर के पास ही होने की वजह से उक्त टंकियो को जब्त कर लिया तथा कालाबजारी करने का आरोप लगाया गया है। अप्रार्थी की 56 टंकियों को जब्त किया गया है उसे सप्लाई हेतु गेट पास देकर रवाना किया था, वाहन चालक द्वारा जांच अधिकारी को दिया गया था जिसमें 53 टंकियों के कागजात दिये गये थे तथा बाद में तीन टंकियां जो उपभोक्ताओं को तत्समय दी जाने थी के बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार का ब्लैक में बेचान नहीं किया जा रहा था मात्र संयोग से उक्त वाहन अमित कुमार की दुकान के आगे पाया गया था। जांच अधिकारी को उक्त 56 गैस टंकियों का गेट पास सुपुर्द कर दिया था लेकिन उनके द्वारा रिपोर्ट में उल्लेख नही कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे तथा जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन कि[illegible] प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरो[illegible]क 11.07.2023 को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा मैसर्स अ[illegible]नाथ गैस सर्विस बाड़मेर की गाडी संख्या RJ04GC1680 जो घरेलू गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को

जिला कलक्टर
बाड़मेर

डिलीवरी देने हेतु जा रही थी को गोस्वामी गैस सर्विस कोतवाली पुलिस थाना के पीछे बाड़मेर को तीन गैस सिलेण्डर आपूर्ति करते पकड़ कर पुलिस थाना कोतवाली में खड़ा करवाया गया। जांच के दौरान उक्त तीन सिलेण्डर की डिलीवरी के संबंध में बुकिग नहीं की गई थी तथा डिलीवरी चालान व संबंधित गैस डायरी में इन्द्राज नहीं किया गया था। श्री अमित कुमार पुत्र कानपुरी जाति गोस्वामी, संचालक गोस्वामी गैस सर्विस पुलिस थाना कोतवाली के पीछे बाड़मेर से पूछताछ करने पर बताया कि उसके द्वारा मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस से गैस सिलेण्डर 1150 रूपये में खरीद कर ग्राहको को 1200 रूपये में बेचने का कार्य किया जाता है। मौके पर जांच के दौरान उक्त तीन सिलेण्डर की डिलीवरी के संबंध में बुकिग नहीं की गई थी तथा डिलीवरी चालान व संबंधित गैस डायरी में इन्द्राज नहीं किया गया था। मौके पर जांच के दौरान स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्यों के मध्य नजर अवैध गैस सिलेण्डर डिलीवरी होना पाया गया। इसके जवाब मे अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकट किया है कि अप्रार्थी ने उपभोक्ता जिनके फोन आने की वजह से उनकी अतिआवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए उनके घर पर सप्लाई की जा रही थी। खाता संख्या 7035012534 मीनाक्षी पत्नी कानपुरी जाति गोस्वामी निवासी पुलिस कोतवाली के पीछे माहेश्वरी भवन के पास उनको गैस टंकी की सप्लाई की थी तथा मीनाक्षी को सप्लाई करने के बाद वाहन से दो भरी हुयी टंकीयां जो रिहाना बानों पत्नी शौकत अली उपभोक्ता खाता संख्या 7054191033 व अनिजा बानों पत्नी जान मोहम्मद जाति मुसलमान खाता संख्या 7060580566 को संकडी गली कसाईयों का वास बाड़मेर में देनी थी इसलिए मीनाक्षी के घर पर ही टंकियां उताकर उपभोक्ताओं के घर सप्लाई करने जा रहे थे। इतने में उपखण्ड अ[illegible] बाड़मेर द्वारा गोस्वामी गैस सर्विस के यहां जांच करने आये तथा [illegible] सर्विस सेन्टर के पास ही होने की वजह से उक्त टंकियो [illegible] जब्त कर लिया गया है। इस प्रकार मौके पर जब्ती के समय एवं जांच के दौरान घरेलु गैस सिलेण्डर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आपर्ति हेतु बुकिंग एवं सप्लाई बाबत इन तीन सिलेण्डरों के कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे घरेलु गैर सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग होने का तथ्य साबित हैं, जिसकी अमित कुमार ने अपने बयानों में ताईद भी की गई हैं। ऐसे में प्रकरण मे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन होना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण मे सीजशुदा उक्त 56 गैस सिलेण्डर्स में से 3 गैर सिलेण्डर जिन्हे व्यवसायिक उपयोग के आशय से मैसर्स गोस्वामी गैस सर्विस को दिये जा रहे थे, जो अस्थाई रूप से मैसर्स लक्ष्मी गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिये गये है, को मय गैस राजसात किया जाता हैं। अवशेष 53 गैस सिलेण्डर एवं वाहन सं. RJ04GC1680 के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:59 IST
Reason: SelfAttested